अध्याय - 26
विशेष श्रेणियों के लिए रोजगार सहायता

26.1 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही महिलाओं, अ.जाति/अ.जनजाति, विकलांग तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों जैसे कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए प्रयास जारी रखे गए हैं।

महिलाएँ

26.2 वर्ष 2000-2005 के दौरान महिला आवेदकों के संदर्भ में रोजगार कार्यालयों का वर्ष वार निष्पादन तालिका 26.1 में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

26.3 वर्ष 2003 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्यो के निष्पादन का ब्यौरा तालिका 26.2 में दिया है ः-

अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों के संबंध में विशेष जानकारी

- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या 1994 की तुलना में 2003 में 49.9 लाख से बढ़कर 66.3 लाख हो गई, जिससे 32.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- अनूसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या 1994 की तुलना में 2003 में 13.78 लाख से बढ़कर 23.10 लाख हो गई।
- वर्ष 2003 के अंत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या कुल संख्या का क्रमशः 16.0 एवं 5.6 प्रतिशत थी।
- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों की नियुक्तियों की संख्या 1994 की तुलना में 2003 में 29.7 हजार से घटकर 19.2 हजार रह गई।

अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र

26.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 22 अध्यापन सह

मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, कोलकाता, जयपुर, राँची, सूरत, आइजोल, बंगलौर, इम्फाल, हिसार, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर में कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक केन्द्र जो जोवई में है अभी भी पूर्ण रुप से कार्यरत होने की प्रक्रिया में है। इन केन्द्रों के कार्य निम्नलिखित हैं ः-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षित पंजीकृत उम्मीदवारों को व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना।
- नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने के समय संभावित परीक्षा के प्रकार/साक्षात्कार का सामना करने और आजीविका की अपेक्षाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।
- आरक्षित रिक्तियों के प्रति संप्रेषण का परिणाम जानने के लिए नियोजकों के साथ उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- रोजगार चाहने वालों के लिए आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसाय सूचना/मार्गदर्शन और निर्देशन देने के साथ-साथ विकास कार्य संबंधी कार्य करना।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करना। यह सुविधाएं अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर के अतिरिक्त अन्य सभी केन्द्रो में उपलब्ध हैं।
- विभिन्न नियोक्ता प्राधिकारियों तथा नियोजनकर्त्ता एजेंसियों के सहयोग से ग्रुप-सी पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग, इत्यादि द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में सुधार हेतु समय-समय पर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित करना।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष अध्यापन योजना

विशेषताएं -

- ♦ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा दिल्ली एवं गाजियाबाद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को समूह 'ग' पद के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षाओं/चुनाव परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए एक विशेष अध्यापन योजना भी चलाई जा रही है।
- ♦ अभी तक 22 चरणों तक 6498 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

के रोजगार के इच्छुक कार्मिकों ने लिपिक/आशुलिपिक पदों के लिए सफलतापूर्वक अध्यापन पूरा किया। 23वां चरण 01.07.2005 से चल रहा है।

- इस प्रशिक्षण की अवधि 11 माह है तथा प्रशिक्षुओं को 175 रु० प्रतिमाह की दर से वृतिका प्रदान की जाती है साथ ही, निःशुल्क पाठय़ पुस्तकें एवं सीमित लेखन सामग्री भी दी जाती हैं।
- विशेष अध्यापन योजना के फायदों को दृष्टि में रखते हुए यह योजना छः केन्द्रों जो कि कानपुर, कोलकाता, बंगलोर, हैदराबाद, राँची और सूरत में हैं, 1992 से आगे बढ़ा दी गई हैं।
- इस योजना के 10 चरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 2217 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पाठय़क्रम पूरा किया। 11वां चरण 01.07.2005 से चालू है।
- आगे यह योजना 1999 से छः अन्य केन्द्रों गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई, तथा तिरुअनंतपुरम में लागू की गयी एवं 691 विद्यार्थियों ने चार चरणों में सफलतापूर्वक पाठय़क्रम पूरा किया। पांचवां चरण 01.07.2005 से चालू है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विद्यमान अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में नए पाठय़क्रम आरंभ करना।

26.5 यह योजना फरवरी 2004 से आरंभ की गई। वर्ष 2004-2005 के दौरान एपटेक लि. के माध्यम से 12 स्थानों पर इस योजना की सहायता से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 467 रोजगार चाहने वालों को 6 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना संभव हो पाया। बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर एवं सूरत स्थित 12 अध्यापन -सह-मार्गदर्शन केन्द्रों को वर्ष 2004-05 के दौरान 12 स्थानों पर एपटेक लि. के साथ अनिवार्य संयोजन प्रदान किया। योजना के अधीन उक्त 12 स्थलों में दो और स्थलों नामतः कानपुर एवं तिरूअनंतपुरम को शामिल करते हुए अर्थात् 14 स्थलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 518 रोजगार चाहने वालों की सीट क्षमता वाला दूसरा प्रशिक्षण सत्र अक्तूबर,2005 से जारी है।

26.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. के रोजगार चाहनेवालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 13 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में अ.जा./अ.ज.जा. के रोजगार चाहनेवाले को

टंकण तथा आशुलिपि के अभ्यास को सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये केन्द्र समूह-ग तथा समतुल्य पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग, बैंक कार्मिक सेवा संस्थान इत्यादि द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों की रोजगारपरकता में सुधार लाने के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2005 के दौरान (सितम्बर तक) 8688 उम्मीदवारों ने अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा टंकण तथा आशुलिपि अभ्यास को सुविधा प्राप्त की तथा 2182 उम्मीदवारों ने अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा गठित पूर्व भर्ती प्रशिक्षण में भाग लिया।

विकलांग व्यक्ति

रोजगार कार्यालय

26.7 पहले की तरह ही रोजगार सेवा ने रोजगार चाहने वाले विकलांगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अपने प्रयास लगातार जारी रखे ः-

रोजगार कार्यालयों का विकलांग रोजगार चाहने वालों से संबंधित कार्य निष्पादन निम्नानुसार हैः

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	चालू रजिस्टर
2000	64.7	3.3	485.2
2001	60.1	3.5	510.0
2002	59.4	3.4	532.7
2003	55.2	3.9	551.8

चालू रजिस्टर पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

वर्ष 2003 के दौरान नियोजित विकलांग रोजगार चाहने वालों की संख्या 3.9 हजार थी।

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

26.8 यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामान्यता विकलांगों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी हैं फिर भी उनके लिए चुनिंदा नियोजन के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की गई है।

26.9 ये विशेष रोजगार कार्यालय उनकी अवशिष्ट शारीरिक क्षमता एवं मानसिक संभाव्यता के अत्यधिक अनुकूल रोजगार प्रदान करने हेतु प्रयास करते हैं।

26.10 इस समय देश में 43 विशेष रोजगार कार्यालय (अगस्त, 2005 की स्थिति के अनुसार) कार्य कर रहे हैं।

26.11 राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्य दल (वर्किंग ग्रुप) तथा विशेष रोजगार

कार्यालयों के पुनर्गठन पर कार्यबल की सिफारिशों को मानते हुए रोजगार कार्यालयों में विकलांगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष सैलों की स्थापना का निर्णय लिया गया।

26.12 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से वितपोषित तथा एक विशेष नियोजन अधिकारी के साथ सामान्य रोजगार कार्यालयों में विकलांगों के लिए **38** विशेष सैलों की स्थापना की गई है।

26.13 ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राजगार कार्यालयों में विकलांग अभ्यर्थियों के लिए खोले गए विशेष सैलों/एककों के अतिरिक्त हैं।

26.14 वर्ष **2003** के दौरान विशेष रोजगार कार्यलयों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार हैः

पंजीकरण	**10937**
नियोजन	**988**
चालू रजिस्टर	**109929**

विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

- श्रम और रोजगार मंत्रालय विकलांग व्यक्ति अधिनियम, **1995** के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी एवं प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो विकलांगों के कल्याण हेतु प्रमुख मंत्रालय है, से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी जी ई टी) नियमित समन्वयन एवं सहयोग करता रहा है।

- देश में, अहमदाबाद, मुम्बई, भुवनेश्वर, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, जबलपुर, गुवाहाटी, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, वड़ोदरा, अगरतला, पटना, उना, पांडिचेरी तथा जम्मू में **20** विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर हैं, इनमें से बडोदरा स्थित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र पूर्ण रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। ये केन्द्र विकलांगों की अवशिष्ट कार्यक्षमता का आकलन करते हैं और उन्हें आवश्यकतानुरुप प्रशिक्षण प्रदान करके उनके शीघ्र आर्थिक पुनर्वास में सहायता करते हैं। उन्हें अन्य उपयुक्त पुनर्वास सेवाएं यथा नौकरी में लगाना, स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा इन प्लांट प्रशिक्षण, प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं।

- मुम्बई, अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, तिरूअनंतपुरम, हैदराबाद तथा कानपुर के व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों पर विकलांगों के त्वरित पुनर्वास हेतु 7 कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएँ (एसटीडब्लयू) स्थापित की गई हैं। इन केन्द्रों पर अनौपचारिक रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- चल कैम्पों तथा 5 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों यथा, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना तथा चेन्नई के अंतर्गत 11 ब्लॉकों में स्थापित ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों (आर.आर.ई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों के लिए भी पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है।

26.15 जनवरी 2005 से दिसम्बर 2005 के दौरान 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों का कार्यनिष्पादन तालिका 26.3 पर दिया गया है।

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को सहायता

26.16 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिन्हित रिक्तियों पर विकलांग भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा रक्षा बल कार्मिकों अथवा रक्षा सेवा कार्मिकों के आश्रितों/मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों अथवा युद्ध में गंभीर रूप से विकलांग कार्मिकों को नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक भूतपूर्व सैनिक सैल की जुलाई, 1972 में स्थापना की गई । तदनुरुप, विशेष सेवाओं के लाभ के कार्यक्षेत्र का फरवरी, 1991 से मिलिट्री सेवा में मृत्यु अथवा विकलांगता पर युद्ध और शांति काल के दौरान हुए विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ शांति काल में मारे गए अथवा गंभीर रुप से विकलांगों के आश्रितों के लिए भी विस्तार किया गया । अक्तूबर, 2005 के अंत में 223 विकलांग सैनिक तथा 2329 आश्रित, भूतपूर्व सैनिक सैल के माध्यम से रोजगार पाने की प्रतीक्षा में थे।

अल्पसंख्यक

- राष्ट्रीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए पूर्ण एकजुटता के प्रधानमंत्री के निर्देश को मानते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और नामों की सूची भेजने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

- अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में हुई प्रगति तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल-रोजगार कार्यालय पंजीकरण आयोजित

करने के लिए रोजगार कार्यालयों को निदेश देने की भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

- **कुल मिलाकर दिसम्बर, 2003 के अंत में भारत के सभी रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित रोजगार चाहने वालों की संख्या 60.1 लाख थी । यह चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या का 14.5 प्रतिशत है।**

तालिका 26.1

(हजार में)

वर्ष	*पंजीकरण*	*नियोजन*	*महिलाओं का चालू रजिस्टर*	*कुल चालू रजिस्टर*	*कुल चालू रजिस्टर में महिलाओं के चालू रजिस्टर की प्रतिशतता*
2000	**1646.3**	**35.7**	**10457.3**	**41343.6**	**25.3**
2001	**1540.8**	**31.5**	**10884.8**	**41995.9**	**25.9**
2002	**1343.1**	**25.9**	**10649.5**	**41171.2**	**25.9**
2003	**1448.8**	**26.7**	**10752.3**	**41388.7**	**26.0**
2004	**1551.5**	**24.5**	**10711.6**	**40457.6**	**26.5**
2005 (जनवरी-अगस्त)	**992.6**	**20.9**	**10708.2**	**39815.0**	**26.9**

तालिका 26.2

(लाख में)

		2002	**2003**
अनुसूचित जाति	**पंजीकरण**	**7.28**	**7.05**
	नियोजन	**0.18**	**0.19**
	चालू रजिस्टर	**63.51**	**66.28**
अनुसूचित जनजाति	**पंजीकरण**	**2.41**	**3.47**
	नियोजन	**0.08**	**0.08**
	चालू रजिस्टर	**19.47**	**23.10**
अन्य पिछड़ी जाति	**पंजीकरण**	**8.89**	**9.23**
	नियोजन	**0.13**	**0.17**
	चालू रजिस्टर	**79.05**	**82.32**

तालिका 26.3

जनवरी-सितम्बर 2005 के दौरान निष्पादन							
क्र सं.	विवरण	नेत्रहीन	मूक व बधिर	अस्थि विकलांग	आंशिक रूप से कुष्ठ रोगी	आंशिक रूप से मंदब्द्धि	योग
1.	2005 के आरम्भ में उम्मीदवारों की संख्या	53	34	147	1	5	240
2.	2005 के दौरान प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	1540	2896	15877	139	485	20937
3.	2005 के दौरान मूल्याँकित उम्मीदवारों की संख्या	1519	2830	15646	138	468	20601
4.	मूल्याँकन पूरा किए बैगेर केन्द्र छोड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या	3	30	160	-	5	198
5.	सितम्बर 2005 के अन्त में अभी भी मूल्याँकनाधीन उम्मीदवारों की संख्या	71	70	218	2	17	378
6.	जनवरी-सितम्बर 2005 के दौरान पुनर्वासित उम्मीदवारों की संख्या	341	1301	6209	116	120	8087

******